

पत्रांक-1558/12-1 : देहरादून: दिनांक:

5 फरवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय - जनपद-उत्तरकाशी में बौगा-भैलूड़ा मोटर मार्ग का घण्डियालघार तक विस्तार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.115 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में।

संदर्भ- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/९२/२०१६/एफ०सी०/१८, दिनांक 06.04.2021।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिसकी सूचना वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती के पत्र संख्या-1478/12-1, दिनांक-18.01.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा बिन्दुवार इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है :-

SN	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती द्वारा अवगत कराया गया है कि इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य करने की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती द्वारा अवगत कराया गया है कि इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.230 हे० अवनत आरक्षित वन भूमि जलकुरगाड क०सं०-19 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाए जाए तथा प्रजाति के एकल प्लांटेशन से बचें। (ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त सं०-3 (क) के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवनत आरक्षित वन भूमि जलकुरगाड क०सं०-19 वृक्षारोपण क्षेत्रफल 4.23 हे० प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रु० 1568915.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है।(संलग्नक-01)। (ख) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।(संलग्नक-02)
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरणीय लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जायेंगे।	इस शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA 556 दि० 30.10.2020, 01.08.2003, 28.3.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 2.115 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत रु० 13,89,555.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या

9

	तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक- 5-1/1998-एफ०सी० (pt- 2) दि० 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दि० 3.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रसव के तहत 2.115 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	150896110851213 नूनियन बैंक, लोदी कॉम्प्लैक्स बाच, नई दिल्ली के खाते में जमा करा दी गयी है।(संलग्नक-1 के अनुसार)
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्त अभिकरण इस एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि संलग्न कर प्रेषित है।(संलग्नक-3)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 174 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) द्वारा चालान तैयार कर रु० 29,58,470.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या 1508961130851213 यूनियन बैंक, लोदी कॉम्प्लैक्स बांच, नई दिल्ली के खाते में जमा करा दी गयी है।(संलग्नक-1 के अनुसार)
8	गाईड लाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक 01 वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	एफ०आर०ए०. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुपालन हेतु एफ० आर० ए० 2006 का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न-4)
10	प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	सरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्न-5)
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेंगे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्न-6)
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्न-7)
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्न-8)
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को रज्यीय वन विभाग अथवा अन्य विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्न-9)
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लगात पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नहीं की गयी है।(संलग्न-10)
17	परियोजना कार्य के लिये निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्न-11)

18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्न-12)
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रसवित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्न-13)
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफ०सी० दि० 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्न-14)
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्न-15)
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अन्य यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जायेगी। निस्तारण स्थल को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्न-16)
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्न-17)
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर०के०मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तरकाशी, देहरादून।

संख्या : 1558 / 12-1/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

(आर०के०मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तरकाशी, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक सं०: 1478/12-1
सेवा में,

मुनिकीरेती,

दिनांक 18/01/2024

विषय :-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

जनपद उत्तरकाशी में बाँगा-मैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालघार तक विस्तार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.115 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (FP/UK/Road/10851/2015) की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी का पत्रांक- 1903/12-1 दिनांक 21.11.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक-08बी/यू०सी०पी०/06/92/2016/18, दिनांक 06.04.2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसका अवलोकन करने के उपरांत बिंदुवार अनुपालन आख्या निम्नलिखित अग्रसारित की जा रही है:-

क्र०सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	बिंदुवार अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य करने की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण - (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.230 हे० अवनत आरक्षित वन भूमि जलकुरगाड क०सं०-19 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजाति के एकल प्लांटेशन से बचें। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवनत आरक्षित वन भूमि जलकुरगाड क०सं०-19 वृक्षारोपण क्षेत्रफल 4.23 हे० प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रु० 1568915.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (ग) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न है।(संलग्न-3)
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य करने की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

उत्तरकाशी

का. के. 1

का. के. 1

24

	इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जायेंगे।	
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA 556 दि० 30.10.2020, 01.08.2003, 28.3.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक- 5-1/1998-एफ०सी० (pt- 2) दि० 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दि० 3.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रसव के तहत 2.115 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्त अभिकरण इस एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 2.115 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत रु० 13,89,555.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या 150896110851213 नूनियन बैंक, लोदी कॉम्प्लैक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते में जमा करा दी गयी है। जमा चालान की छाया प्रति संलग्न है। (संलग्न-1) (ख) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न-4)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 174 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	पार्श्व शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) द्वारा चालान तैयार कर रु० 29,58,470.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या 1508961130851213 यूनिचन बैंक, लोदी कॉम्प्लैक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा पर्ची संलग्न)
8	गाईडलाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों के पैरा-11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक	पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	से 01 वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	
9	एफ0आर0ए0. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	पार्श्व शर्त के अनुपालन हेतु एफ0 आर0 ए0 2006 का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।(संलग्न-5)
10	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेंगे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा अन्य विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लगात पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नहीं की गयी है।
17	परियोजना कार्य के लिये निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

६

P.T.O.

19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रसवित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफ०सी०, दि० 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जायेगी। निस्तारण स्थल को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है, कि विषयगत प्रकरण पर वन; संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति/वनभूमि वर्तन के औपचारिक शासनादेश निर्गत करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को सूचनार्थ।

वन संरक्षक

भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashid@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक- 1903/12-1, कोटबंगला, दिनांक 21/11 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती,
उत्तराखण्ड।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में बाँगा-भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालघार तक विस्तार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.115 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (FP/UK/Road/10851/2015) की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी का कार्यालय पत्रांक- 1764/ 2 मू0अ0, दिनांक- 20.10.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक-08बी/यू0सी0पी0/06/92/2016/18, दिनांक 06.04.2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या याचक विभाग द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो कि निम्नवत् है।

SN.	Conditions	Compliances
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य करने की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.230 है0 अवनत आरक्षित वन भूमि जलकुरगाड क0सं0-19 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वादेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजाति एकल प्लांटेशन से बचें। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवनत आरक्षित वन भूमि जलकुरगाड क0सं0-19 वृक्षारोपण क्षेत्रफल 4.23 है0 प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 1568915.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (संलग्न-01) (ग) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न-2)
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जायेंगे।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य करने की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। (संलग्न-03)
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में 1A 556 दि० 30.10.2020, 01.08.2003, 28.3.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक- 5-1/1998-एफ०सी० (pt- 2) दि० 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दि० 3.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रसव के तहत 2.115 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्त अभिकरण इस एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 2.115 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत रू० 13,89,555.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या 150896110851213 नूनियन बैंक, लोदी कॉम्प्लैक्स बाच, नई दिल्ली के खाते में जमा करा दी गयी है। जमा चालान की छाया प्रति संलग्न है। (संलग्न-1) (ख) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न-4)

D:\Draft\Man Letter\Latter.doc

	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 174 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	पार्श्व शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) द्वारा चालान तैयार कर रु० 29,58,470.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या 1508961130851213 यूनियन बैंक, लोदी कॉम्प्लेक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा पर्ची संलग्न)
8	गाईडलाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों के पैरा-11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से 01 वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	एफ०आर०ए०. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	पार्श्व शर्त के अनुपालन हेतु एफ० आर० ए० 2006 का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न-5)
10	प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्न-06)
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेंगे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्न-07)
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्न-8)
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्न-9)
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राष्ट्रीय वन विभाग अथवा अन्य विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्न-10)
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लगातार पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नहीं की गयी है।
17	परियोजना कार्य के लिये निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्न-11)
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रसवित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्न-12)
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफ०सी० दि० 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्न-13)

	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक - 14)
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अन्य एक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जायेगी। निस्तारण स्थल को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक - 15)
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक - 16)
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है, कि विषयगत प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति/वनभूमि प्रत्यावर्तन के औपचारिक शासनादेश निर्गत करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय,
(डी.पी. बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक / तददिनांकित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, भटवाडी उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आख्या अपने स्तर से ऑनलाइन पोर्टल परिवेश में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(डी.पी. बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

AGENCY COPY



NEFT/RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date: 27-03-2022

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BHATWARI
Application No.	6110851213
MoEF/SG File No.	BB/UGP/08/02/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bhatwari Distt. Uttarkashi/Uttarkashi
Amount(In Rs)	2958470/-

Amount In Words :Twenty-Nine Lakh Fifty-Eight Thousand Four Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896110851213 ✓ Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT/RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date: 27-03-2022

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BHATWARI
Application No.	6110851213
MoEF/SG File No.	BB/UGP/08/02/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bhatwari Distt. Uttarkashi
Amount(In Rs)	2958470/-

Amount In Words :Twenty-Nine Lakh Fifty-Eight Thousand Four Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896110851213 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, If the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

आवक/खर्च के विवरणों पर आधारित लेखा खाते में प्रविष्टि के लिए प्रमाणित किया जाता है।
 जमा/खर्च का विवरण निम्न प्रकार है: 01/11/2021 से 31/12/2021 तक।
 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही और सत्य है।
 प्रमाणित करने वाले का नाम - P.P. K. / P.P. K. / 1083 / 10/01/21

1. Head of Account
 P.P. K.

Passed for Rs. 2958470-00

FORM 28 HAND RECEIPT

(See Chapter 4, Paragraphs 284, 295 and 304)

Cash Book Voucher No. 175 Date 23/12/2021

(1) Pay by Cheque/Cash
 (2) Paid by me

RECEIVED from the Provincial Division

In charge of R.D. Bhatwari

Sub-Division P.E. Division the sum of Rs. 2958470-00

Name of work/purpose for which payment is made
 विभाग के कार्यों के लिए प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही और सत्य है।

Prakash

Witness

Amount in Voucher
 Signature of Payee

1. खानपुर ब्लाक R. 15 (8915-00)
2. खानपुर ब्लाक R. 1389 (55-00)
3. 29-8470-00

Passed for R. 2958470-00

Assistant Engineer
 Provincial Division P.W.D.
 Bhatwari

Form Type : Normal

आवेदनकर्ता का नाम
आवेदनकर्ता का पता
आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर

आवेदनकर्ता का फोटो
आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता का नाम

1	0	0	0
2	1	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
0	0	0	0

आवेदनकर्ता का पता

आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर

आवेदनकर्ता का नाम

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

आवेदनकर्ता का नाम

4	2	2	9
---	---	---	---

14- सोर्स कोड : 1 15- डेबिट कोड : 2 16- रीटर्न कोड (अपडेट कोड के साथ)

आवेदनकर्ता का नाम	आवेदनकर्ता का पता	आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर	आवेदनकर्ता का फोटो
1400000000	13569226	435437	

आवेदनकर्ता का नाम	आवेदनकर्ता का पता
54-मुक्ति कर्म	20-00-00
66-देयक की सूचना पत्रिका (अंतिम समाधान के बाद)	20-00-00

OFFICIAL USE

आवेदनकर्ता का नाम	आवेदनकर्ता का पता
77- सम्पूर्ण कटौतियां	
99- देयक देव पत्रिका 66-77	20-00-00

आवेदनकर्ता को देयक में प्रस्तुत किया गया राशि एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। राशि नियमों एवं आदेशों की व्यवस्था में प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता का नाम: श्री 1058470 (Rupees Twenty Nine Lacs Fifty Eight Thousand Four Hundred Seventy Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।
आवेदनकर्ता का पता: भुगतान हेतु पारित किया जाता है।
आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर: भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

1058470

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1102422910211000 Mr	Saving	UBIN0903710	150896110851213	3958470	0	0	2958470
Mrinal Campa				2958470	0	0	2958470

NEFT RTGS CHALLAN

BANK COPY

Union Bank

NEFT/RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date: 27-03-2022

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BHATWARI
Application No.	6110851213
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/92/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bhatwari Distt- Uttarkashi Uttarkashi
Amount(In Rs)	2958470/-

Amount In Words: Twenty-Nine Lakh Fifty-Eight Thousand Four Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896110851213 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

For making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through mail: helpdeskcampa@corpbank.co.inAfter making the required payment through challan, if the payment status has not been updated after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to mail: cb0371@unionbankofindia.com

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date: 27-03-2022

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BHATWARI
Application No.	6110851213
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/92/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bhatwari Distt-Uttarkashi Uttarkashi
Amount(In Rs)	2958470/-

Amount In Words: Twenty-Nine Lakh Fifty-Eight Thousand Four Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896110851213 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

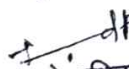
अवनत आरक्षित वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता
प्रमाण-पत्र

1. परियोजना का ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या :- FP/UK/ROAD/10851/2015
2. परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में बाँगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.115 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
3. परियोजना का क्षेत्रफल :- 2.115 हे०।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम व पता :- प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, भटवाड़ी।
5. वन प्रभाग का नाम :- उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल मुखेम रेंज अन्तर्गत अवनत आरक्षित वन भूमि जलकुरगाड कक्ष सं०-19 जिसका क्षेत्रफल 4.230 हे० है का वन क्षेत्राधिकारी, मुखेम वनराजि के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.03.2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का घनत्व वास्तव में 0.40 से कम प्रतीत होता है तथा प्रस्तावित क्षेत्र में 1000 पौध प्रति हे० की दर से समायोजित किये जा सकते हैं।

अतः उक्त क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

हस्ताक्षर


वन क्षेत्राधिकारी,
मुखेम वन राजि।

हस्ताक्षर


(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 4 का "ख")

संलग्न-04-

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूली कर नामित बैंक में जमा की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

संलग्न - 05

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुपालन हेतु एफ0 आर0 ए0 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।



कनिका अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी



अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

आज दि० ०८/०२/२०१५ को ग्राम पंचायत धनपुर की आम खुली बैठक में सम्स्त ग्रामवासियों के समक्ष आहूत की गयी जिसमें बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु समरेखण के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया है, कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय रोड लो० नि० वि० भटवाड़ी उत्तरकाशी के द्वारा जो उक्त मोटर मार्ग का समरेखण किया गया है, उक्त समरेखण को सर्वसहमति व बहुमत के आधार पर सही पाया गया है। हम समस्त ग्रामवासी मोटर मार्ग के समरेखण से सहमत हैं, कि ग्राम पंचायत की सिविल सोयम वन भूमि, नाप भूमि, ग्राम पंचायत भूमि तथा आरक्षित भूमि को सर्व सहमति से मोटर मार्ग निर्माण हेतु देने को सहमत हैं, क्योंकि इसमें न्यूनतम वृक्षों की क्षति नहीं।

आज की बैठक को ग्राम सभा के बैठक रजिस्टर के क्रमांक ०११ में प्रस्ताव सं० १५ के रूप में दर्ज किया गया है।

ग्रामवासियों के हस्ताक्षर निम्नवत हैं :-

Veer Singh
सदस्य
क्षेत्र पंचायत मानपुर
विकासखण्ड-भटवाड़ी
जिला-उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)

श्रीमती राजकुमार
प्रधान
ग्राम पंचायत- धनपुर
वि० ख०- भटवाड़ी, उत्तरकाशी

ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	क्रम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
श्रीमती सुविंद कौर	[Signature]	9	सुभन सिंह	[Signature]
श्रीमती राजकुमार	[Signature]	10	श्रीमती राजकुमार	[Signature]
श्रीमती राजकुमार	[Signature]	11		
श्रीमती राजकुमार	[Signature]	12	श्रीमती राजकुमार	[Signature]
श्रीमती राजकुमार	[Signature]	13	श्रीमती राजकुमार	[Signature]
श्रीमती राजकुमार	[Signature]	14	श्रीमती राजकुमार	[Signature]
श्रीमती राजकुमार	[Signature]	15	श्रीमती राजकुमार	[Signature]
श्रीमती राजकुमार	[Signature]	16	श्रीमती राजकुमार	[Signature]

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	कम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
17 लालम प्रसाद	लालम प्रसाद			
18 जोगतल्लिह	जोगतल्लिह			
19 बिहारी प्रसाद	बिहारी प्रसाद			
20 मन्ना लाल	मन्ना लाल			
21 देवेंद्रवरी	देवेंद्रवरी			
22 सरलराज	सरलराज			
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

आज दि० 25/12/2015 को ग्राम पंचायत ~~आलोच~~ की आम खुली बैठक में समस्त ग्रामवासियों के समक्ष आहूत की गयी जिसमें बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु समरेखण के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया है, कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाडी उत्तरकाशी के द्वारा जो उक्त मोटर मार्ग का समरेखण किया गया है, उक्त समरेखण को सर्वसहमति व बहुमत के आधार पर सही पाया गया है। हम समस्त ग्रामवासी मोटर मार्ग के समरेखण से सहमत हैं, कि ग्राम पंचायत की सिविल सोयम वन भूमि, नाप भूमि, ग्राम पंचायत भूमि तथा आरक्षित वन भूमि को सर्व सहमति से मोटर मार्ग निर्माण हेतु देने को सहमत हैं, क्योंकि इसमें न्यूनतम वृक्षों की क्षति होगी।

आज की बैठक को ग्राम सभा के बैठक रजिस्टर के क्रमांक में प्रस्ताव सं०..... के रूप में दर्ज किया गया है।

ग्राम वासियों के हस्ताक्षर निम्नवत हैं :-

क्रम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	क्रम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
1	गोविंदपाल	गोविंदपाल	(9)	गोविंद सिंह	गोविंद सिंह
2	देवी सिंह महर	देवी सिंह	(10)	जितेंद्र सिंह महर	जितेंद्र सिंह
3	पुष्प सिंह रावत	Budh	(11)	गजानन सिंह	गजानन सिंह
4	राम सिंह	राम सिंह	(12)	राम सिंह	राम सिंह
5	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह	(13)	मदन लाल	मदन लाल
6	कमलेश सिंह	कमलेश सिंह	(14)	जितेंद्र महर	जितेंद्र महर
7	महेश सिंह	महेश सिंह	(15)	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
8	हनुमान सिंह	हनुमान सिंह	(16)	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह

गीता रावत
प्रधान

सदस्य
क्षेत्र पंचायत मानपुर

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	कम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
शुशिला लाल		(37)	हृदय लाल	
रमेश लाल		38	अनूप लाल	
मनोहर सिंह		(39)	प्रेमा	
मोहन लाल		(40)	श्रीमती देवी	
विष्णु लाल		(41)	विष्णु देवी	
पद्म सिंह		(42)	माता देवी	
RAMESH SINGH		43	मनू देवी	
मनोहर सिंह		(44)	श्रीमती	
लक्ष्मी लाल		(45)	श्रीमती देवी	
श्रीशंकर सिंह		46	रिना देवी	
श्रीरंजन लाल महर		(47)	कुल कुशी महर	
श्री कुं उमर महर		(48)	कुं आनी महर	
श्री मनी लक्ष्मी देवी		(49)	श्रीमती राम देवी	
श्री अरविन्द महर		50	कुं उमिमा महर	
श्री अमर देवी		(51)	कुं जमुना महर	
श्री चमन सिंह लाल		(52)	कुं रजनी महर	
अशोक महर		(53)	धन देवी	
शरवीर सिंह		54	गणेश देवी	
कुशल सिंह महर		55	गंगा देवी	
रंजित लाल		56	लक्ष्मी देवी	

सदस्य

सदस्य

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	कम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
1) सुशिला लाल				
2) रमेश लाल				
3) रामा लाल				
4) विजय लाल				
5) श्री राम लाल				
6) पद्म लाल				
7) RAMESH SINGH				
8) कल्याण सिंह				
9) लक्ष्मी लाल				
10) श्री राम लाल				
11) श्री राम लाल				
12) श्री राम लाल				
13) श्री राम लाल				
14) श्री राम लाल				
15) श्री राम लाल				
16) श्री राम लाल				
17) श्री राम लाल				
18) श्री राम लाल				
19) श्री राम लाल				
20) श्री राम लाल				
21) श्री राम लाल				
22) श्री राम लाल				
23) श्री राम लाल				
24) श्री राम लाल				
25) श्री राम लाल				
26) श्री राम लाल				
27) श्री राम लाल				
28) श्री राम लाल				
29) श्री राम लाल				
30) श्री राम लाल				

चेतना

प्रधान

ग्राम पंचायत- अलेख

ग्राम (उत्तरकाशी)

सदस्य

क्षेत्र पंचायत मानपुर

विकासखण्ड-भटवाडी

जिला-उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)

प्रपत्र - 23

का नाम :- मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत अनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा - भैलूड़ा मोटर मार्ग का घण्डियाल धार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :- धनपुर।
तहसील :- भटवाड़ी, जिला - उत्तरकाशी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

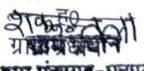
मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत अनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा - भैलूड़ा मोटर मार्ग का घण्डियाल धार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाड़ी/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यवर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धनपुर द्वारा दि० ०९.०९.२०१८ को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वनाधिकारी अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सहमति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धनपुर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


हो १५/१२
ग्राम सचिव


ग्राम पंचायत-धनपुर
वि०ख०-भटवाड़ी, उत्तरकाशी

- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्ता कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाय।

परियोजना का नाम :- प्रपत्र-23.2

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

उपखण्ड स्तरीय समिति, अटवाडी

उपखण्ड अटवाडी परिक्षेत्र के अन्तर्गत बोडा-भैलुडा मोटर मार्ग से घेरे
 वन पंचायत भूमि, हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि हे०
 अर्थात् कुल 2.115 हे० वन भूमि) का
 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
 जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील अटवाडी) की दिनांक 11-2-2015 को
 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
 अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
 श्री. —, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
 अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

- 1- श्री के. के. सिंह उपजिलाधिकारी अटवाडी अध्यक्ष
- 2- श्री आ. ह. श्री. सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी अटवाडी सदस्य
- 3- श्री हरविन्द कुमार सहायक सभाज कल्याण अधिकारी अटवाडी सदस्य / सचिव
- 4- श्री विनोद कुमार बी०डी०सी० क्षेत्र अटवाडी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
 की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
 कि

परियोजना हेतु 2.115 हे० वन भूमि

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
 के समक्ष रखा गया। ~~प्रस्ताव के अन्तर्गत वन अधिकारों का कोई मान्यता प्रमाण नहीं है।~~ उक्त
 भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
 हेतु प्रत्योवर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ————— द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
 परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
 प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
 अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी आवेदन को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
 इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है।
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मटवाडी परिक्षेत्र के अन्तर्गत
~~वेगना और लुडा और मटवाडी~~ प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
~~मटवाडी, उतर काशी~~
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- मटवाडी
जनपद- उतर काशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

19
उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- मटवाडी
जनपद- उतर काशी

कार्यालय उप जिलाधिकारी... 21/2/15
उप खण्ड स्तरीय समिति... 21/2/15

आज दिनांक... 11.2.2015 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड... 21/2/15 में कोषा... 21/2/15 मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव... 21/2/15 है।
के सम्बन्ध में वन अधिनियम-2006 एवं नियम- 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी
समिति की बैठक उप जिलाधिकारी... 21/2/15 की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की
उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1-	क. क. सिंह	उप जिलाधिकारी...	21/2/15
2-	डार. वी. सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी...	धरा सु
3-	अरवि कुमार	सहायक समाज कल्या अधिकारी...	21/2/15
4-	शमती विना...	बोर्डर सी०क्षे. पंचायत सदस्य...	21/2/15

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
जिला स्तरीय समिति
जिला - उत्तरकाशी।

आज दि. 12/01/18 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बाँगा - भैलूड़ा मार्ग से घण्डियालघार त
विस्तार हेतु 2.115 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं 200
के अन्तर्गत जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की गई।

क्र०	अधिकारी/जिलापंचायत	पद नाम	हस्ताक्षर
सं०	सदस्य का नाम		
1	डॉ० आशीष चौहान	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	
2	श्री संदीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी।	
3	श्री जीत सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।	
4	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य, उपला डख्याट गाँव	
5	श्री जितेन्द्र सिंह राणा	जिला पंचायत सदस्य, नाल्ड टकनोर।	
6	श्रीमती अनिता गुसाई	जिला पंचायत सदस्य, कन्सैण	

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जाने का कार्य प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार कर दिया जायेगा ।



कमिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

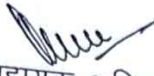
(11/11/15 - 07)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार कर दिया जायेगा ।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

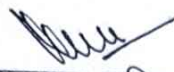
मेकनरु - ०८

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार नहीं बदला जायेगा।



कांतिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

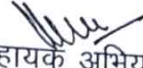


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

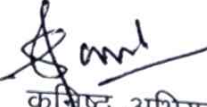

कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

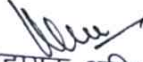

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी


अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा अन्य विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक इंधन दिया जायेगा।

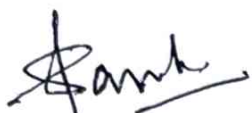

कमल अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

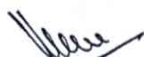

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार परियोजना कार्य के निष्पादन/निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



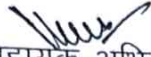
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।



कमिष्ट अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दि० 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



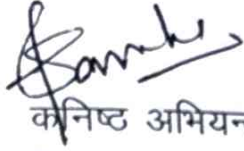
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



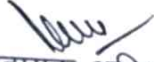
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होने का अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



अधिशपसी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होने का अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

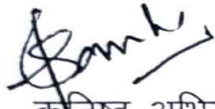


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

(संलग्नक - 15)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगे कि वह अन्य एक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जायेगी। निस्तारण स्थल को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति न होने का अनुपाल किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

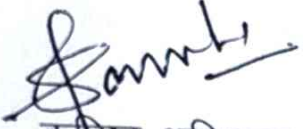


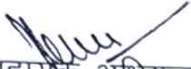
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

(सिविल-16)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी का अनुपालन किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी